फैक्स/ई–मेल/महत्वपूर्ण/प्राथमिकता

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0,
अनुभाग–4, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्याः 5265/4–20एफ/2024, दिनांकः 4-9- ~~अगस्त~~, 2024

विषयः–पोषक संवर्गो (लेखपाल, संग्रह अमीन, भू–अर्जन अमीन) से राजस्व निरीक्षक के पद पर प्रोन्नत अप्रशिक्षित राजस्व निरीक्षकों को तीन माह का संस्थागत प्रशिक्षण दिलाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परिषदादेश संख्या–3584/4–35एफ/2022(3), दिनांक 15–09–2023 एवं परिषदादेश संख्या–720/4–35एफ/2022(3), दिनांक 26–02–2024 द्वारा पोषक संवर्गो (लेखपाल, संग्रह अमीन, भू–अर्जन अमीन) से राजस्व निरीक्षक के पद पर प्रोन्नत अप्रशिक्षित राजस्व निरीक्षकों को दिनांक 09–09–2024 से प्रशिक्षण दिलाये जाने के सम्बन्ध में मा0 परिषद द्वारा निम्न आदेश प्रदान किये गये हैं:–

1– जनपद फर्रूखाबाद, हरदोई, सीतापुर, खीरी, कानपुर नगर एवं कानपुर देहात, गोण्डा, बहराइच, बलरामपुर एवं श्रावस्ती में कार्यरत ऐसे राजस्व निरीक्षक जो लेखपाल, संग्रह अमीन व भू–अर्जन अमीन से राजस्व निरीक्षक के पद पर परिषदादेश संख्या–3584/4–35एफ/2022(3), दिनांक 15–09–2023 एवं परिषदादेश संख्या–720/4–35एफ/2022(3), दिनांक 26–02–2024 द्वारा प्रोन्नत हुए हैं, को तीन माह का संस्थागत प्रशिक्षण **''राजा टोडरमल सर्वेक्षण एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0, हरदोई''** में दिनांक 09–09–2024 से आरम्भ किया जायेगा।

2– जनपद आजमगढ़, बलिया, वाराणसी, गाजीपुर, चन्दौली, सोनभद्र एवं भदोही में कार्यरत ऐसे राजस्व निरीक्षक जो लेखपाल, संग्रह अमीन व भू–अर्जन अमीन से राजस्व निरीक्षक के पद पर परिषदादेश संख्या–3584/4–35एफ/2022(3), दिनांक 15–09–2023 एवं परिषदादेश संख्या–720/4–35एफ/2022(3), दिनांक 26–02–2024 द्वारा प्रोन्नत हुए हैं, को तीन माह का संस्थागत प्रशिक्षण **''मण्डलीय राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय, जनपद आजमगढ़''** में दिनांक 09–09–2024 से आरम्भ किया जायेगा।

3– जनपद जौनपुर, मीरजापुर, मऊ, अम्बेडकरनगर एवं सुलतानपुर, गोरखपुर, कुशीनगर, महराजगंज एवं देवरिया में कार्यरत ऐसे राजस्व निरीक्षक जो लेखपाल, संग्रह अमीन व भू–अर्जन अमीन से राजस्व निरीक्षक के पद पर परिषदादेश संख्या–3584/4–35एफ/2022(3), दिनांक 15–09–2023 एवं परिषदादेश संख्या–720/4–35एफ/2022(3), दिनांक 26–02–2024 द्वारा प्रोन्नत हुए हैं, को तीन माह का संस्थागत प्रशिक्षण **''मण्डलीय राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय, जनपद मऊ''** में दिनांक 09–09–2024 से आरम्भ किया जायेगा।

4– जनपद प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, बस्ती, सिद्धार्थनगर एवं संतकबीरनगर में कार्यरत ऐसे राजस्व निरीक्षक जो लेखपाल, संग्रह अमीन व भू–अर्जन अमीन से

2...

राजस्व निरीक्षक के पद पर परिषदादेश संख्या–3584/4–35एफ/2022(3), दिनांक 15–09–2023 एवं परिषदादेश संख्या–720/4–35एफ/2022(3), दिनांक 26–02–2024 द्वारा प्रोन्नत हुए हैं, को तीन माह का संस्थागत प्रशिक्षण **"मण्डलीय राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय, जनपद प्रयागराज"** में दिनांक 09–09–2024 से आरम्भ किया जायेगा।

5– जनपद सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, सम्भल एवं नोएडा प्राधिकरण में कार्यरत ऐसे राजस्व निरीक्षक जो लेखपाल, संग्रह अमीन व भू–अर्जन अमीन से राजस्व निरीक्षक के पद पर परिषदादेश संख्या–3584/4–35एफ/2022(3), दिनांक 15–09–2023 एवं परिषदादेश संख्या–720/4–35एफ/2022(3), दिनांक 26–02–2024 द्वारा प्रोन्नत हुए हैं, को तीन माह का संस्थागत प्रशिक्षण **"मण्डलीय राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय, जनपद बिजनौर"** में दिनांक 09–09–2024 से आरम्भ किया जायेगा।

6– जनपद झांसी, जालौन, ललितपुर, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर एवं महोबा में कार्यरत ऐसे राजस्व निरीक्षक जो लेखपाल, संग्रह अमीन व भू–अर्जन अमीन से राजस्व निरीक्षक के पद पर परिषदादेश संख्या–3584/4–35एफ/2022(3), दिनांक 15–09–2023 एवं परिषदादेश संख्या–720/4–35एफ/2022(3), दिनांक 26–02–2024 द्वारा प्रोन्नत हुए हैं, को तीन माह का संस्थागत प्रशिक्षण **"मण्डलीय राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय, जनपद महोबा"** में दिनांक 09–09–2024 से आरम्भ किया जायेगा।

7– जनपद लखनऊ, रायबरेली, बाराबंकी, उन्नाव, अयोध्या, अमेठी एवं नगर निगम लखनऊ में कार्यरत ऐसे राजस्व निरीक्षक जो लेखपाल, संग्रह अमीन व भू–अर्जन अमीन से राजस्व निरीक्षक के पद पर परिषदादेश संख्या–3584/4–35एफ/2022(3), दिनांक 15–09–2023 एवं परिषदादेश संख्या–720/4–35एफ/2022(3), दिनांक 26–02–2024 द्वारा प्रोन्नत हुए हैं, को तीन माह का संस्थागत प्रशिक्षण **"मण्डलीय राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय, जनपद लखनऊ"** में दिनांक 09–09–2024 से आरम्भ किया जायेगा।

8– जनपद आगरा, मैनपुरी, मथुरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, कासगंज, हाथरस, एटा, इटावा, औरैया, रामपुर, मुरादाबाद एवं कन्नौज में कार्यरत ऐसे राजस्व निरीक्षक जो लेखपाल, संग्रह अमीन व भू–अर्जन अमीन से राजस्व निरीक्षक के पद पर परिषदादेश संख्या–3584/4–35एफ/2022(3), दिनांक 15–09–2023 एवं परिषदादेश संख्या–720/4–35एफ/2022(3), दिनांक 26–02–2024 द्वारा प्रोन्नत हुए हैं, को तीन माह का संस्थागत प्रशिक्षण **"मण्डलीय राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय, टुण्डला, जनपद फिरोजाबाद"** में दिनांक 09–09–2024 से आरम्भ किया जायेगा।

9– जनपद बरेली, बदायूं, पीलीभीत एवं शाहजहांपुर में कार्यरत ऐसे राजस्व निरीक्षक जो लेखपाल, संग्रह अमीन व भू–अर्जन अमीन से राजस्व निरीक्षक के पद पर परिषदादेश संख्या–3584/4–35एफ/2022(3), दिनांक 15–09–2023 एवं परिषदादेश संख्या–720/4–35एफ/2022(3), दिनांक 26–02–2024 द्वारा प्रोन्नत हुए हैं, को तीन माह का संस्थागत प्रशिक्षण **"मण्डलीय राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय, जनपद बरेली"** में दिनांक 09–09–2024 से आरम्भ किया जायेगा।

10– उक्त परिषदादेश दिनांक 15–09–2023 एवं 26–02–2024 के पूर्व के ऐसे राजस्व निरीक्षक जो किन्हीं कारणवश राजस्व निरीक्षक का प्रशिक्षण अभी तक नहीं प्राप्त कर

3...

सके हैं, को भी आपके जनपद हेतु निर्धारित प्रशिक्षण विद्यालयों में दिनांक 09–09–2024 से आरम्भ होने वाले प्रशिक्षण पर भेजने का कष्ट करें।

11– ऐसे राजस्व निरीक्षक जो एक या एक से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं तथा उनकी सेवानिवृत्त की तिथि 31–12–2024 के बाद की है, को 02 माह का लघु प्रशिक्षण **''राजा टोडरमल सर्वेक्षण एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0, हरदोई''** में दिनांक 09–09–2024 से आरम्भ होने वाले प्रशिक्षण पर भेजने का कष्ट करें।

12– ऐसे राजस्व निरीक्षक जिनकी सेवानिवृत्त की तिथि 31–12–2024 या इसके पूर्व की है, उन्हें प्रशिक्षण से मुक्त रखा जायेगा।

13– प्रशिक्षण की अवधि पूर्ण हो जाने के बाद एक अर्हकारी परीक्षा आयोजित की जायेगी जिसके लिये आदेश पृथक से निर्गत किया जायेगा।

14– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 परिषद के उपर्युक्त आदेशों के अनुपालन में अपने जनपदों के सम्बन्धित राजस्व निरीक्षकों को प्रशिक्षण हेतु प्रस्तावित तिथि के एक दिन पूर्व अवमुक्त करते हुए उन्हें निर्देशित करें कि उक्त राजस्व निरीक्षक नियत तिथि पर प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होकर अपना पंजीकरण कराने के बाद प्रशिक्षण प्राप्त करें।

भवदीया,

(मनीषा त्रिघाटिया)
आयुक्त एवं सचिव।

<u>संख्या व दिनांक यथोपरि।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपर्युक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु अपने अधीनस्थ जनपदों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

2– जिलाधिकारी, आजमगढ़, मऊ, प्रयागराज, बिजनौर, महोबा, लखनऊ, फिरोजाबाद एवं बरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे प्रशिक्षण के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही /तैयारी हेतु अपने जनपद के मण्डलीय राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय के प्रधानाचार्य, को तत्काल निर्देशित करने का कष्ट करें।

3– निदेशक, राजा टोडरमल सर्वेक्षण एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0, हरदोई को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि परिषद के आदेशानुसार नियत तिथि से आरम्भ होने वाले प्रशिक्षण हेतु समस्त आवश्यक तैयारियाँ पूर्ण करते हुए परिषद को अवगत कराने का कष्ट करें।

4– मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जनपद गौतमबुद्धनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि दिनांक 09–09–2024 से प्रारम्भ हो रहे राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने हेतु अपने विभाग में तैनात अप्रशिक्षित राजस्व निरीक्षक को राजस्व निरीक्षक का प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित मण्डलीय राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय हेतु कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।

5– नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि दिनांक 09–09–2024 से प्रारम्भ हो रहे राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने हेतु अपने विभाग में तैनात अप्रशिक्षित राजस्व निरीक्षक को राजस्व निरीक्षक का प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित मण्डलीय राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय हेतु कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।

4...